

THE RAJASTHAN SMALL INDUSTRIES CORPORATION LTD.

Udyog Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur-302 005

Phone: 0141-2227267 Fax: 0141-5115766

Website: www.rajsico.gov.in E-mail: rajsico@rajasthan.gov.in

CIN:-U91110RJ1961SGC001118

अहस्तांतरणीय

मूल्य: 500
Non-Refundable

राजस्थली दिल्ली / जयपुर / उदयपुर में
गुणवत्ता बिक्री लक्ष्य काउण्टर (क्वालिटी सेल्स टारगेट काउण्टर)
से राजस्थानी हस्तशिल्प उत्पाद बिक्री करने
हेतु निविदा प्रपत्र

निविदादाता /
आवेदक का
फोटो

निविदादाता / आवेदक का नाम :

:

निविदा प्रपत्र संख्या :

:

- निविदा प्रस्तुत किये जाने की अंतिम तिथि **23.05.2018** समय मध्याह्न **1.00** बजे। प्राप्त निविदा उसी दिन उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष **3.00** बजे खोली जावेगी

नोट:- लिफाफे पर हस्तशिल्प का नाम एवं राजस्थली जिसके लिए निविदा प्रस्तुत की जा रही है का नाम अवश्य अंकित करें। सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी


राजस्थली पर हस्तशिल्प आईटम हेतु कन्साइन्मेंट काउन्टर आवंटन किये जाने का आवेदन / निविदा प्रपत्र

1 विक्रय केन्द्र का नाम जहाँ काउन्टर :
चाहा गया है।

2 हस्तशिल्प का नाम जो आप विक्रय :
करेंगे

नोट:-

- टैक्नीकल बिड व फाईनेन्सियल बिड अलग-अलग लिफाफे में प्रस्तुत करें तथा लिफाफे के उपर "टैक्नीकल बिड" / "फाईनेन्सियल बिड" अंकित करें।
- टैक्नीकल बिड में सफल निविदादाता की ही फाईनेन्सियल बिड खोली जावेगी।
- निविदा फार्म / प्रपत्र वेब साइट eproc.rajasthan.gov.in से डाउन लोड किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र का निर्धारित शुल्क जयपुर में देय डीडी / बैंकर चैक के द्वारा दी राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि0, के नाम से जमा करवाया जाना होगा जिसकी सूचना / विवरण निविदा प्रस्तुत करते समय देनी होगी।
- निविदा फार्म प्रपत्र भर कर eproc.rajasthan.gov.in पर निर्धारित तिथि व समय तक अपलोड किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से भिजवाये गये मान्य नहीं होंगे।

**THE RAJASTHAN SMALL INDUSTRIES CORPORATION LTD.**

Udyog Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur-302 005

Phone: 0141-2227267 Fax: 0141-5115766

Website: www.rajsico.gov.in E-mail: rajsico@rajasthan.gov.in

CIN:-U91110RJ1961SGC001118

टैक्नीकल बिड

1. क्या निविदादाता कारीगर/निर्माता/ ट्रेडर : कारीगर
है तो चिन्हित करें व समर्थन में वांछित निर्माता
दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न करें। ट्रेडर
2. इस क्षेत्र में कितने वर्ष का अनुभव है : _____
3. निविदा प्रपत्र मूल्य राशि 500/- का : ड्राफ्ट/बैंकर चैक सं.....दिनांक.....
विवरण। बैंक.....राशि.....
एम.डी आर.आई.एस.एल को जयपुर में देय : ड्राफ्ट/बैंकर चैक सं.....दिनांक.....
राशि 1,000/- का विवरण। बैंक.....राशि.....
4. अमानत राशि रू. 40000/- बैंकर : ड्राफ्ट/बैंकर चैक सं.....दिनांक.....
चैक/ड्राफ्ट का विवरण। बैंक.....राशि.....
5. आवेदक/निविदादाता का नाम एवं स्थाई :
पता, संस्थान का नाम भी लिखें
अ. मुख्यकर्ता का नाम, संस्थान का नाम एवं : _____
स्थायी पता
ब. टेलीफोन नम्बर फ़ैक्स नं० एवं मोबाइल : _____
नं०
6. आवेदक फर्म का विवरण : 1. व्यक्तिगत
(कृपया चिन्हित करें) 2. साझेदारी
3. कम्पनी
7. यदि साझेदारी फर्म है तो साझेदारों के नाम : 1. _____
व पते यदि सोसायटी या कम्पनी है तो 2. _____
संचालको के नाम व स्थाई पते 3. _____
नोट: साझेदारी डीड अथवा मेमोरेन्ड की सत्यापित 4. _____
प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
8. उत्पादन स्थल का पूरा पता : _____

9. दुकान व संस्थान नियमों के अन्तर्गत यदि पंजीकृत हो तो उसका नम्बर व तिथि (रजिस्ट्रेशन की फोटो प्रति संलग्न करें) : _____
10. यदि संस्थान उद्योग विभाग से स्थाई रूप से रजिस्टर्ड हो तो उसका रजिस्ट्रेशन नम्बर व दिनांक। (फोटो प्रति संलग्न करें) : _____

11. क्या आप आयकर दाता है, यदि है तो पिछले तीन वर्षों की आयकर रिटर्न संलग्न करें। : हाँ नहीं
(पैन नम्बर की छायाप्रति संलग्न करें।)
12. पिछले तीन वर्षों का व्यापारवर्त का विवरण, (वैट/जी.एस.टी रिटर्न के साथ) प्रस्तुत करें। : वित्तीय वर्ष व्यापारवर्त (लाखों में)
2015-16
2016-17
2017-18
13. क्या राजस्थली के आस-पास आपका स्वयं का शोरूम तो नहीं है, अगर है तो कितनी दूरी पर है। : हाँ नहीं
दूरी _____
14. यदि आपके क्राफ्ट पर जी.एस.टी लगता है तो जी.एस.टी रजिस्ट्रेशन नं. व दिनांक (पंजीयन प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें) :
15. वित्तीय स्थिति के समर्थन में सम्बंधित बैंक के शाखा प्रबंधक का साख सम्बंधी प्रमाण पत्र संलग्न करें तथा बैंक का नाम व खाता संख्या बतायें। : बैंक का नाम व पता-.....
.....
खाता संख्या-.....
साख प्रमाण पत्र का विवरण-.....

16 केवल टैक्नीकल विड में उत्तीर्ण होने वाले की फाईनैन्सियल विड खोली जावेगी। टैक्नीकल विड में उत्तीर्ण होने के लिए कुल 100 अंको में से न्यूनतम 60 अंक प्राप्त करना आवश्यक होंगे। अंक दिए जाने का आधार निम्नानुसार होगा।


क्रम सं	विवरण	कुल अंक / अधिकतम अंक
अ	गत तीन वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 की औसतन टर्नओवर। (आयकर/जी.एस.टी/वैट की रिटर्न अथवा सी.ऐ का प्रमाण पत्र संलग्न करें।) (क) रु.1 लाख से रु 10 लाख तक - 10 अंक (ख) रु.10 लाख से अधिक से रु 30 लाख तक - 20 अंक (ग) रु. 30 लाख से अधिक - 30 अंक	30

ब	पुरस्कार/अवार्ड विवरण (प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें) (क)पदमश्री/शिल्प गुरु/ नेशनल अवार्डी – 20 अंक (ख)राज्य स्तरीय अवार्डी – 15 अंक (ग)स्टेट मैरिट अवार्डी – 12 अंक (घ)जिला स्तरीय अवार्डी – 10 अंक		20
स	दस्तकार/ कारीगर/निर्माता को प्राथमिकता (क)दस्तकार/ कारीगर (डी.सी.एच कार्ड की प्रति संलग्न करें) – 20 अंक (ख)निर्माता (एम.एस.एम.ई/ एस.एस.आई पंजीकरण की प्रति संलग्न करें)– 20 अंक		20
द	कमेटी के समक्ष हस्तशिल्प कारीगर एवं उत्पादों का प्रस्तुतिकरण –30 अंक		30
	कुल अंक		100

दिनांक:

स्थान :

निविदादाता / अधिकृत प्रतिनिधि के
हस्ताक्षर, नाम व पूरा पता

**THE RAJASTHAN SMALL INDUSTRIES CORPORATION LTD.**

Udyog Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur-302 005

Phone: 0141-2227267 Fax: 0141-5115766

Website: www.rajsico.gov.in E-mail: rajsico@rajasthan.gov.in

CIN:-U91110RJ1961SGC001118

फाईनेन्सियल बिड

Sl. No.	Item Description	दो वर्ष की (24माह हेतु) गुणवत्ता बिक्री लक्ष्य काउण्टर (Quality Sales Target Counter) without tax राशि BASIC RATE In Figures To be entered by the Bidder in Rs. P
1	2	3
1	क्वालिटी सेल्स टारगेट काउण्टर	
1.01	राजस्थली नई दिल्ली के राजस्थानी ब्रास एंव मेटल आईटमस, काउण्टर के वर्ष 2018-20 (24 माह हेतु) के लिये गुणवत्ता बिक्री लक्ष्य काउण्टर (क्वालिटी सेल्स टारगेट काउण्टर),राशि जिस पर निर्धारित दर से गुणवत्ता बिक्री लक्ष्य काउण्टर (क्वालिटी सेल्स टारगेट काउण्टर) कमीशन निगम को देय होगा।	
1.02	राजस्थली नई दिल्ली के राजस्थानी मोजरी व हस्तनिर्मित चमडे का सामान काउण्टर के वर्ष 2018-20 (24 माह हेतु) के लिये गुणवत्ता बिक्री लक्ष्य काउण्टर (क्वालिटी सेल्स टारगेट काउण्टर),राशि जिस पर निर्धारित दर से गुणवत्ता बिक्री लक्ष्य काउण्टर (क्वालिटी सेल्स टारगेट काउण्टर) कमीशन निगम को देय होगा।	
1.03	राजस्थली नई दिल्ली के राजस्थानी फर्नीचर(सोफासैट, स्टूल,डाइनिंग सैट,स्टैडी टेबल एंव अलमारी,झरोखा,कैबीनेट्स,पार्टीसन,सन्दूक ,कोर्नर आदि) काउण्टर के वर्ष 2018-20 (24 माह हेतु) के लिये गुणवत्ता बिक्री लक्ष्य काउण्टर (क्वालिटी सेल्स टारगेट काउण्टर),राशि जिस पर निर्धारित दर से गुणवत्ता बिक्री लक्ष्य काउण्टर (क्वालिटी सेल्स टारगेट काउण्टर) कमीशन निगम को देय होगा।	
1.04	राजस्थली नई दिल्ली के ब्ल्यू पोटरी व टैराकोटा आईटम काउण्टर के वर्ष 2018-20 (24 माह हेतु) के लिये गुणवत्ता बिक्री लक्ष्य काउण्टर (क्वालिटी सेल्स टारगेट काउण्टर),राशि जिस पर निर्धारित दर से गुणवत्ता बिक्री लक्ष्य काउण्टर (क्वालिटी सेल्स टारगेट काउण्टर) कमीशन निगम को देय होगा।	

	को देय होगा।	
1.13	राजस्थली चेतक सर्किल, उदयपुर के राजस्थानी ब्रास व मेटल आईटम्स काउण्टर वर्ष 2018-20 (24 माह हेतु) के लिये गुणवत्ता बिक्री लक्ष्य काउण्टर (क्वालिटी सेल्स टारगेट काउण्टर), राशि जिस पर निर्धारित दर से गुणवत्ता बिक्री लक्ष्य काउण्टर (क्वालिटी सेल्स टारगेट काउण्टर) कमीशन निगम को देय होगा।	

दिनांक:
स्थान :

निविदादाता / अधिकृत प्रतिनिधि के
हस्ताक्षर, नाम व पूरा पता

निविदादाताओं के लिये विशेष निर्देश

1. निविदादाता निविदा देने से पूर्व काउण्टर हेतु उपलब्ध करवाये जाने वाले स्थान व अन्य उपलब्ध सुविधाओं इत्यादि की पूर्ण जानकारी संबंधित एम्पोरियम से प्राप्त कर सकता है तथा स्थान का अवलोकन भी कर सकता है। आवेदन पत्र का सम्पूर्ण सेट चाहे गये अनुसार पूर्ण रूप से हस्ताक्षरित हो। सशर्त व अपूर्ण आवेदन पत्र अस्वीकृत किये जा सकते हैं। चेतक सर्किल उदयपुर हेतु 3 से कम योग्य निविदा प्राप्त होने की स्थिति में निगम किसी भी निविदा को स्वीकार नहीं करने के लिये स्वतंत्र होगा। निगम को स्थान परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है।
2. काउण्टर आवन्तन में कारीगर/निर्माताओं को प्राथमिकता दी जायेगी। प्राप्त निविदाओं को खोलने के पश्चात यदि निगम द्वारा पार्टियों से निगोशिएशन करने का निर्णय लिया जाता है तो केवल उन्ही निविदाता को निगोशिएशन के लिए बुलाया जावेगा, जिसकी ऑफर्स अधिकतम होगी। ऐसी परिस्थिति में निगम की कमेटी द्वारा उच्चतम बोली वाले निविदादाताओं को काउण्टर ऑफर दिया जावेगा। यदि उच्चतम बोली वाले निविदादाता द्वारा कमेटी की काउण्टर ऑफर स्वीकार नहीं की जाती है तो आगामी उच्चतम बोली वाले निविदादाता को काउण्टर ऑफर दी जावेगी और यह प्रक्रिया आगे तब तक चलती रहेगी जब तक कोई निविदादाता काउण्टर ऑफर स्वीकार कर लेता है। यदि किसी भी पार्टी द्वारा काउण्टर ऑफर स्वीकार नहीं की जाती है तो निगम निविदा को रद्द कर पुनः निविदा कर सकता है। निविदाएँ निगम द्वारा स्वीकृति देने के प्रयोजन से निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिन तक वैध रहेगी।
3. निविदा प्रपत्र के साथ निविदा प्रपत्र मूल्य राशि रु 500/- एवं अमानत राशि रु 40000/- डिमाण्ड ड्राफ्ट/ बैंकर चैक जो दी राजस्थान स्माल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड जो जयपुर में देय होगा की प्रतियाँ जमा कराया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त एम.डी आर.आई.एस. एल को जयपुर में देय राशि 1,000/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट की प्रति लगाया जाना आवश्यक है, अन्यथा निविदा प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. समस्त निविदाओं के लिए टैक्नीकल बिड एवं फाईनैन्सियल बिड अलग-अलग से भरने आवश्यक हैं। टैक्नीकल बिड के साथ उपरोक्तानुसार निविदा प्रपत्र की मूल्य राशि 500/- अमानत राशि 40,000/- एवं प्रोसेसिंग फीस रु 1,000/- के जयपुर में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक की छायाप्रति संलग्न करनी आवश्यक हैं। निविदा फार्म/प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता द्वारा

हस्ताक्षर किये जाने हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक पृष्ठ पर डिजिटल हस्ताक्षर किये जाकर, निविदा फार्म/प्रपत्र को निर्धारित समय एवं तिथि तक eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड कर निविदा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। विस्तृत जानकारी के लिए निविदादाता eproc.rajasthan.gov.in का अवलोकन करें।

5. निविदा प्रपत्र मूल्य प्रोसेसिंग फीस व अमानत राशि के मूल डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक निर्धारित तिथि व समय तक दी राजस्थान स्माल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड जयपुर के कार्यालय में बन्द लिफाफे में प्रस्तुत किये जाने आवश्यक है, अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। लिफाफे पर निविदा का नाम एवं निविदादाता का नाम अंकित करें।
6. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत उत्पादों की फोटोग्राफी/ विडियोग्राफी करवा कर रिकोर्ड में रखवाई जावेगी।

—: घोषणा : —

7. यदि मुझे/हमें काउन्टर आवंटन हुआ तो मैं/हम नियम व शर्तों का पूर्णतया पालन करेगें, जिसके प्रति स्वरूप नियम व शर्तें हस्ताक्षर करके संलग्न की जा रही है।
8. दी राजस्थान स्माल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि० द्वारा व्यक्तिगत रूप अथवा मेरे/हमारे संस्थान/सोसायटी/फर्म के टेण्डर में भाग लेने के लिये अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
9. आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने के लिए निम्न हस्ताक्षरकर्ता व्यक्तिगत रूप से अथवा फर्म/संस्थान की ओर से पूर्ण अधिकृत है।

आवेदक/अधिकृत के
हस्ताक्षर नाम एवं पूरा पता
हस्ताक्षर प्रमाणित किये गये।

हस्ताक्षर राजपत्रित अधिकारी/नोटेरी पब्लिक

गवाह:

नियम एवं शर्ते

1. गुणवत्ता बिक्री लक्ष्य काउण्टर(Quality Sales Target Counter) : –

कन्साइनमेन्ट काउण्टर के लिए गुणवत्ता बिक्री लक्ष्य काउण्टर (Quality Sales Target Counter), पर निविदादाता द्वारा अंकित राशि की बिक्री करनी आवश्यक होगी जिस पर 25 प्रतिशत कमीशन निगम के पक्ष में भुगतान करना होगा। यदि वास्तविक बिक्री टारगेट बिक्री से अधिक होती है तो वास्तविक बिक्री राशि पर भी 25 प्रतिशत कमीशन देय होगा। यदि किसी विशेष महिने में बिक्री टारगेट बिक्री राशि पर देय कमीशन से भी कम होती है तो देय टारगेट कमीशन तथा वास्तविक बिक्री की अन्तर राशि कन्साईनर द्वारा अगामी माह की 10 तारीख तक निगम को जमा करवानी होगी।

2. लाइसेन्स फीस :-

काउण्टर का स्थान:- प्रत्येक काउण्टर के लिए प्रत्येक राजस्थली में स्थान निर्धारित है जिसका विवरण परिसिष्ट-“अ ” में वर्णित है। निर्धारित स्थान का अवलोकन निविदादाता द्वारा निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व संबंधित प्रभारी राजस्थली के सहयोग से किया जा सकता है ।

क्रम संख्या 1 पर अंकित कमीशन की राशि के अतिरिक्त कन्साईनर द्वारा निम्नानुसार महावारी दरों से फर्नीचर, पानी, बिजली, पंखे की सुविधा निगम द्वारा प्रदान किये जाने के प्रतिफल स्वरूप लाइसेन्स फीस निम्नानुसार निगम को देय होगी ।

क्र०	विक्रय केन्द्र	लाइसेन्स फीस प्रतिवर्ग फीट प्रतिमाह
1.	राजस्थली ,उदयपुर	सम्बन्धित विक्रय केन्द्र द्वारा काउण्टर हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले स्थान(कारपेट एरिया) के लिए लाइसेन्स फीस राशि 75.00 रु. प्रतिवर्ग फीट प्रतिमाह वसूल की जावेगी ।
2.	राजस्थली, दिल्ली, एवं जयपुर (मेजनाइन व तृतीय तल राजस्थली जयपुर में उपलब्ध नहीं है।)	सम्बन्धित विक्रय केन्द्र द्वारा काउण्टर हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले स्थान(कारपेट एरिया) के लिए लाइसेन्स फीस तलधर में राशि 100/- रु., ग्राउण्ड फ्लोर में 150/- मेजनाइन में 130/- प्रथम तल में 120/-, द्वितीय तल में 110/- तृतीय तल में 100/- प्रतिवर्ग फीट प्रतिमाह वसूल की जावेगी ।

3. बीमा :-

कन्साईनर द्वारा स्वयं के रखे गये सामान का बीमा अपने खर्चे पर कराना होगा ।

निगम किसी भी प्रकार की क्षति के लिए जिम्मेवार नहीं होगा ।

4. अनुबंध अवधि: -

बिना अनुबंध किये काउन्टर/स्थान का कब्जा कन्साईनर को किसी भी स्थिति में नहीं दिया जावेगा। काउन्टर 2 वर्ष के लिए आवंटित किये जावेंगे, परन्तु यह अवधि दोनों पक्षों द्वारा आपसी समझौते से अधिकतम एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। यदि निविदादाता की कार्य विधि, व्यवहार तथा विक्री सन्तोषप्रद नहीं पायी गयी तो निगम को अनुबंध उक्त अवधि से पूर्व भी निरस्त कर शेष अवधि के लिए काउन्टर आगामी वित्तीय अधिकतम निविदादाता को अनुपातिक आधार पर उपलब्ध करा सकता है। इस विषय में निगम के प्रबन्ध निदेशक /अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक का निर्णय अंतिम तथा मान्य होगा।

5. धरोहर राशि: -

सफल निविदादाता द्वारा 6 माह की टारगेट बिक्री पर देय अनुपातिक कमीशन के बराबर धरोहर राशि काउन्टर पर विक्री प्रारंभ करने से पूर्व जमा करानी पड़ेगी जो राशि 60 प्रतिशत डी.डी/नगद व 40 प्रतिशत बैंक गारन्टी के रूप में जमा कराना होगा । संख्या -2 पर अंकित लाइसेन्स फीस की 6 माह की अनुपातिक राशि के बराबर नगद प्रतिभूति बतौर बिक्री प्रारम्भ करने से पूर्व जमा करवानी पड़ेगी, जो अनुबंध की शर्तों का पूर्ण पालन किए जाने के पश्चात् अनुबंध की समाप्ति पर लिखित आवेदन करने पर लौटा दी जावेगी। यदि अनुबंध निर्धारित अवधि से पहले ही उसकी शर्तों के उल्लंघन के कारण निरन्तर बिक्री कम होने से यदि खाता डैविट होता है तो , तथा निगम द्वारा काउन्टर समाप्त कर दिया जाता है अथवा वापिस लिया जाता है या पार्टी काउन्टर चलाने में असमर्थ होती है तो प्रतिभूति/धरोहर की राशि में से बकाया राशि का समायोजन प्रतिभूति/धरोहर में से करने के बाद, शेष रही धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी। निगम को हुई हानि प्रतिभूति/धरोहर राशि से अधिक होती है तो शेष राशि कन्साईनर को देय अन्य राशि से अथवा न्यायालय के माध्यम से वसूल की जावेगी। जमा धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

6 विक्रय प्रक्रिया: –

काउन्टर पर समस्त बिक्री निगम द्वारा इस उद्देश्य से उपलब्ध करवायी गई केशमीमों के द्वारा ही की जावेगी। राजस्थली/निगम द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का भी पालन किया जाना निविदादाता के लिए अनिवार्य है। केशमीमों की राशि निगम के द्वारा अधिकृत केश काउन्टर पर ही एकत्रित की जावेगी, जो कन्साईनर को आगामी माह की 30 तारीख तक निगम को देय कमीशन, लाइसेन्स फीस एवं अन्य बकाया राशि को काटकर भुगतान की जावेगी। विशेष परिस्थितियों में चालू माह में अधिकतम एक बार अग्रिम दिया जा सकेगा, बशर्ते कि अग्रिम लेते समय उस माह का पूर्ण कमीशन, लाइसेन्स फीस एवं अन्य बकाया राशि से अधिक की बिक्री काउन्टर पर हो जाती है

7 निविदादाता के स्वयं के अन्य शोरूम राजस्थली के आसपास होने की स्थिति में:—

यदि किसी निविदादाता का स्वयं का अथवा परोक्ष रूप से सहभागिता का शोरूम या दुकान उसी मार्ग पर जिस पर राजस्थली शोरूम स्थित है, या राजस्थली शोरूम के आसपास स्थित है, उस स्थिति में निगम सामान्य स्थिति में निविदा पर विचार न करने का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा।

8 विक्रय राशि पर छूट :-

कन्साईनर द्वारा जैसा कि व्यवस्थापक अथवा निगम का अधिकृत अधिकारी निर्देश देवें तो विक्रय राशि पर 20 प्रतिशत तक की छूट देनी होगी। छूट की आधी राशि निगम द्वारा और शेष आधी राशि कन्साईनर वहन करेगा। ऐसी बिक्री पर निगम को देय निर्धारित दर पर कमीशन निगम द्वारा वहन की गई छूट की राशि को कम करके गणना की जावेगी। कन्साईनर द्वारा स्वयं की इच्छा से दी गई छूट उसके द्वारा ही वहन की जावेगी। ऐसी बिक्री पर निगम को देय कमीशन की राशि वही होगी जो कि ऐसी छूट न देने पर होती।

9 (अ) जी.एस.टी /अन्य कर की वसूली:—

कन्साईनर द्वारा विधि तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत बिक्री पर निर्धारित दर से जी.एस.टी वसूल करना होगा। ऐसा करने में असफल होने पर जी.एस.टी की राशि विक्रय राशि से वसूल की जावेगी। हस्तशिल्प के नाम की भाषा में फेर-बदल आदि करके जी.एस.टी का अपवंचन करने की स्थिति में राजस्थली के प्रबंधक/प्रभारी को यह अधिकार होगा कि वे अपने स्तर पर पेनल्टी लगाकर भविष्य में ऐसे कार्यों की पुनरावृत्ति न करने की चेतावनी दें। यदि तीन बार इस प्रकार की पुनरावृत्ति होती है, उस स्थिति में प्रबंधक/प्रभारी बिक्रीकर पर रोक लगाकर मुख्यालय को सूचित करे। निगम उक्त अवस्था में तुरन्त प्रभाव से दी गई सुविधा/अनुमति को निरस्त भी कर सकेगा।

(ब) जी.एस.टी व अन्य देय कर.— नियमानुसार कन्साईनर को वहन करना होगा।

1. सम्बन्धित गुणवत्ता बिक्री लक्ष्य काउण्टर की पार्टियों द्वारा गुणवत्ता बिक्री लक्ष्य काउण्टर काउण्टरों पर विक्रय किये जाने वाला माल चालान के साथ राजस्थली को दिया जावेगा, जिसका राजस्थली द्वारा पार्टी को प्राप्ति वाउचर दिया जावेगा। उक्त माल के विक्रय के लिए गुणवत्ता बिक्री लक्ष्य काउण्टर की पार्टी अपना विक्रय सहायक (अधिकार पत्र के साथ) भेजेगी जो उक्त माल को राजस्थली के काउण्टर पर विक्रय करेगा तथा माल व सामान उसके स्वयं के विक्रय सहायक के कब्जे में रहेगा।
2. प्रत्येक माह में गुणवत्ता बिक्री लक्ष्य काउण्टर पर जो सामान विक्रय हुआ है, उसका बिल माह की अन्तिम तिथि को सम्बन्धित पार्टी भुगतान प्राप्त करने हेतु राजस्थली को प्रस्तुत करेंगी, जिसको राजस्थली द्वारा नियमानुसार पारित किया जावेगा।
3. बिल पारित करने के साथ राजस्थली द्वारा सम्बन्धित गुणवत्ता बिक्री लक्ष्य काउण्टर की पार्टी को नियमानुसार लाईसैन्स फीस, कमीशन राशि प्राप्त करने हेतु पृथक से बिल जारी किया जावेगा जिसकी कटौती पार्टी द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत किये हुए बिल से की जावेगी, इसके अतिरिक्त सम्बन्धित गुणवत्ता बिक्री लक्ष्य काउण्टर की पार्टी से वसूल किया जाने वाला बैंक कमीशन मय जी.एस.टी. बिक्री पर दी गई छूट राशि इत्यादि राशि का समायोजन डैविट-क्रेडिट से खातों में कर शेष देय राशि का भुगतान पार्टी को किया जावेगा।

10 माल की उचित दर निर्धारण: —

कन्साईनर द्वारा काउण्टर पर बिक्री हेतु रखे गये माल की कीमत बाजार/व्यापार की प्रतिस्पर्दात्मकता चाहिये एवं उसको इस सम्बन्ध में दिये निर्देशों का पालन करना होगा। माल की उचित दर निर्धारण में व्यवस्थापक/प्रभारी अथवा निगम के अधिकृत अधिकारी के निर्णय की पालना किया जाना कन्साईनर के लिए अनिवार्य होगा तथा निगम को हस्तक्षेप किये जाने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। यदि कन्साईनर की किसी प्रकार की त्रुटि या भूल चूक के कारण निगम को किसी भी प्रकार की हानि उठानी पडती है तो उस हानि की पूर्ति कन्साईनर द्वारा करनी होगी और निगम को यह अधिकार होगा की उस हानि की राशि को बिक्री की राशि में से अथवा अन्य कोई देय राशि में से वसूल कर ले। किसी क्रेता की गुणवत्ता सम्बन्धी शिकायत का निराकरण निगम के निर्देशानुसार दूर करने का दायित्व कन्साईनर का होगा। प्रबन्धक/प्रभारी विक्रय केन्द्र को यह भी अधिकार होगा की अगर उसे काउण्टर पर किसी सामान की विक्रय दर अधिक प्रतीत होती है तो वह सामान की बिक्री बन्द करवा सकता है

11 माल की उचित गुणवत्ता:-

कन्साईनर को काउन्टर पर बिक्री हेतु रखे गये माल की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करनी होगी । निगम माल की गुणवत्ता के बारे में उचित प्रमाण-पत्र अथवा जानकारी प्राप्त कर सकता है । अपने विवेकानुसार निगम यह महसूस करता है कि बिक्री हेतु रखे गये माल की गुणवत्ता में कमी के कारण क्रेता में असंतोष की भावना उत्पन्न हो सकती है अथवा राजस्थली की साख पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है तो आवंटन निरस्त करने व हुई हानि (अगर कोई हो तो) की वसूली कन्साईनर से करने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा । माल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निगम के अधिकारी/निगम द्वारा अधिकृत व्यक्ति/संस्था/ कमेटी कन्साईनर के माल का निरीक्षण कर सकते हैं एवं कन्साईनर को निर्देश प्रदान कर सकते हैं, जिसकी कन्साईनर द्वारा पूर्ण अनुपालना किया जाना आवश्यक होगा ।

12 काउन्टर नियंत्रण व अधीक्षण संबंधी शर्तें : -

काउन्टर पर पूर्ण नियंत्रण व अधीक्षण निगम का होगा। निगम के अधिकारी /कर्मचारी/ सेवक अथवा प्रतिनिधि काउन्टर का निरीक्षण कर सकेंगे, कि काउन्टर आवंटन की शर्तों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं?

13 कन्साईनर के काउन्टर्स के कब्जे संबंधी अधिकार: -

कन्साईनर को यह अधिकार नहीं होगा कि वह किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से काउन्टर का कब्जा दे दें अथवा उसके किसी भाग को दूसरों के सुपुर्द कर दें। इस शर्त के उल्लंघन पर निगम द्वारा काउन्टर का आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा तथा पूर्व सूचना दिया जाना निगम के लिए आवश्यक नहीं होगा एवं इससे निगम को हुई वित्तीय हानि को वसूल करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

14 कन्साईनर द्वारा नियुक्त विक्रय सहायक संबंधी शर्तें: -

एक आवंटित काउन्टर पर एक से अधिक व्यक्ति नियुक्त नहीं किए जा सकते। पार्टी द्वारा लिखित अनुरोध पर प्रबन्धक/प्रभारी यदि आवश्यक समझे तो अधिक विक्रय सहायकों को नियुक्त करने की इजाजत दे सकते हैं। कन्साईनर द्वारा अच्छे चरित्र व आचरण के व्यक्ति को माल की बिक्री हेतु काउन्टर पर नियुक्त किया जावेगा और ऐसे व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, उम्र, पता एवं नमूने के हस्ताक्षर उनके फोटो पहचान पत्र सहित निगम को उनकी वास्तविक नियुक्ति से पूर्व प्रस्तुत

करने होंगे एवं निगम पहचान पत्र जारी कर सकेगा। निगम को अधिकार होगा कि ऐसे किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगा दे जो कि अवांछित हो।

15 प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक आपदाओं संबंधी उत्तरदायित्व:—

निगम कन्साईनर के माल की हर संभव सुरक्षा एवं संरक्षा करेगा लेकिन किसी भी प्रकार की घिसावट, कमी, चोरी, (pilferage) अथवा दंगे, अग्नि, डकैती अथवा अन्य (unforeseen); कारणों, भूकम्प व अन्य प्राकृतिक आपदाओं से हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

16 कमीशन भुगतान संबंधी शर्त: —

चैक, बैंक ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड जो काउन्टर पर की गयी बिक्री के फलस्वरूप प्राप्त होंगे उनको भुनाने का कमीशन कन्साईनर द्वारा वहन किया जावेगा।

17 माल के प्रदर्शन व बिक्री संबंधी शर्त: —

कन्साईनर केवल निर्दिष्ट माल को निगम के अधीक्षण में प्रदर्शन एवं बिक्री कर सकेगा तथा निगम द्वारा दिये गये समस्त निर्देशन एवं अनुदेशन का पालन करना होगा, जिसके असफल/उल्लंघन होने पर निगम को यह अधिकार होगा कि कन्साईनर व उसके किसी अन्य कर्मचारी का काउन्टर पर प्रवेश रोक दे।

18 टेलीफोन व अन्य सुविधाओं संबंधी शर्त:—

किसी भी कन्साईनर को टेलीफोन/लैण्ड लाईन, इन्टरनेट, WAN, LAN, आदि सुविधाएं स्वयं के नाम से लेने की इजाजत नहीं होगी। इस शर्त की अवहेलना पाये जाने पर निगम बिक्री पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगा सकता है।

19 बकाया राशि पर ब्याज भुगतान संबंधी नियम: —

निर्धारित अवधि के पश्चात बकाया राशि पर कन्साईनर द्वारा 18 प्रतिशत वार्षिक दर से निगम को ब्याज भुगतान करना होगा।

20 बिक्री काउन्टर की व्यवस्था संबंधी नियम: —

कन्साईनर द्वारा बिक्री काउन्टर को साफ तथा अच्छी हालत में रखा जावेगा एवं अच्छी किस्म का सामान स्टोर किया जावेगा। उससे यह आशा की जाती है कि किसी भी प्रकार से काउन्टर की दीवारों, फर्श एवं अन्य ढांचे को क्षति न पहुंचे। किसी भी कारण यदि निगम को क्षति होती है तो इसकी वसूली कन्साईनर से की जावेगी। उसे तथा उसके कर्मचारियों द्वारा निगम द्वारा समय समय पर एम्पोरियम/काउन्टर के लिये बनाये गये नियमों का पालन करना होगा।

21 बिक्री किये जाने वाले काफ़्ट पर लागू नियमों का पालन: –

कन्साईनर द्वारा बिक्री किये जाने वाले काफ़्ट पर लागू समस्त नियमों एवं कानूनों का पालन करना होगा और किसी भी कारण अथवा भूल से निगम को डुई हानि के लिए क्षतिपूर्ति करनी होगी।

22 एम्पोरियम में प्रवेश का अधिकार: –

एम्पोरियम में प्रवेश का अधिकार निगम द्वारा सुरक्षित है।

23 एम्पोरियम की कार्यविधि की पालना संबंधी नियम: –

कन्साईनर द्वारा ऐसा कोई भी कार्य जो निगम की दृष्टि में आपत्तिजनक है अथवा जो निगम/ एम्पोरियम की कार्यविधि (**Decorum**) के प्रतिकूल है, नहीं किया जावे।

24 सुरक्षा संबंधी नियम: –

कन्साईनर द्वारा काउन्टर पर कोई भी खतरनाक, आग लगने वाला व अन्य तरह से नुकसान पहुंचाने वाला सामान नहीं रखा जावेगा।

25 एम्पोरियम की व्यवस्था संबंधी नियम: –

एम्पोरियम के बन्द होने के समय पर कन्साईनर अपना सामान उनको दी गई जगह अलमीरा/काउन्टर में ताला लगाकर सुरक्षित रखेंगे एवं एम्पोरियम बन्द होने के समय काउन्टर छोड़ देंगे। निगम एम्पोरियम का कार्य समय निगम निश्चित करेगा व जिसका पालन कन्साईनर को करना होगा।

26 निगम के नाम के उपयोग संबंधी शर्त: –

कन्साईनर को निगम के नाम व लोगो का उपयोग बिना पूर्वानुमति के किसी विज्ञापन व प्रचार आदि के लिए नहीं करेगा।

27 आवंटन वापस लेने संबंधी परिस्थितियां: –

निम्नांकित किन्ही एक कारण से आवंटन को वापिस लेने/समयावधि से पूर्व समाप्त करने के लिए निगम स्वतंत्र होगा—

क – यदि कन्साईनर द्वारा निर्धारित समयावधि में अनुबन्ध पर हस्ताक्षर नहीं किया गया।

ख – यदि कन्साईनर पूरे कलेण्डर महिने में काउन्टर को बिक्री के लिए खोलने में असमर्थ रहे।

- ग – यदि कन्साईनर कमीशन, अन्य बकाया राशि का भुगतान निर्धारित अवधि में करने में असफल रहे।
- घ – यदि कन्साईनर अनुबन्ध की कोई भी शर्त का उल्लंघन करें।
- ङ – यदि कन्साईनर की मृत्यु हो जावे अथवा वह दिवालिया हो जावे, जिसके कारण काउन्टर पर बिक्री को बन्द करना पड़े अथवा रिसीवर या लिक्वीडेटर के तहत बिक्री करनी पड़े।
- च – राज्य सरकार/निगम द्वारा ली गई नवीन नीति/ निर्णय के तहत निगम हित में पाए जाने पर निगम एक माह के नोटिस पर काउन्टर खाली कराने का अधिकार रखता है।

28 आवंटन वापस लेने की दशा में निगम की यथाविधि: –

उपर्युक्त परिस्थितियों में लाईसेन्स को वापिस लेने की दशा में निगम काउन्टर को पूर्ण माल सहित अधिकार में लेने के लिए स्वतंत्र होगा तथा काउन्टर को रद्द करने की तिथि से एक महिने के अन्दर कन्साईनर को निगम के समस्त बकाया का भुगतान करना होगा ऐसा नहीं करने पर निगम को अधिकार होगा कि कन्साईनर के माल को नीलाम कर दें और प्राप्त राशि को कन्साईनर पर बकाया तथा उसके द्वारा भुगतान योग्य राशि / क्षति पूरक राशि को सम्मिलित करते हुए जैसा कि निगम अपने पूर्ण विवेक से तय करे, राशि को सम्मिलित करते हुए समायोजित कर ली जावेगी। उसके पश्चात यदि कोई राशि शेष रहती है तो वह कन्साईनर को बिना ब्याज के भुगतान कर दी जावेगी।

29 कन्साईनर को सूचना संबंधी नियम: –

कन्साईनर को यदि कोई सूचना दी जाए या देना आवश्यक हो जावे तो वह पर्याप्त रूप से दी गई मानी जावेगी यदि निगम द्वारा या इसके किसी एजेन्ट के द्वारा पोस्ट के जरिये, पंजीकृत पत्र द्वारा उल्लेखित पते पर भेजी गई हो अथवा विकल्प के रूप में वर्णित काउन्टर पर चिपका दी गई हो।

30 विवाद व निवारण संबंधी नियम: –

इस लाइसेन्स से संबंधित कोई भी विवाद/मतभेद पक्षकारों के मध्य उत्पन्न होने पर ऐसे समस्त विवाद /मतभेद निस्तारण हेतु अध्यक्ष एवं प्रबन्ध-निदेशक/ प्रबन्ध निदेशक राजस्थान लघु उद्योग निगम लि०, जयपुर को प्रेषित किया जा सकेंगे। निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध-निदेशक/ प्रबन्ध निदेशक को प्रेषित किये गये ऐसे समस्त विवादों का निस्तारण बहसियत एकल पंच करने के सम्पूर्ण

अधिकार प्राप्त होंगे । यदि अध्यक्ष एवं प्रबन्ध-निदेशक/ प्रबन्ध निदेशक चाहे तो वे ऐसे विवादों / मतभेदों को बहैसियत एकलपंच निस्तारित करने हेतु किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को मनोनित करने हेतु स्वतन्त्र होंगे । इस संबंध में पक्षकारों ने सहमति यह जानते हुये दी है कि अध्यक्ष एवं प्रबन्ध-निदेशक/ प्रबन्ध निदेशक का निगम में बहैसियत अध्यक्ष एवं प्रबन्ध-निदेशक/ प्रबन्ध निदेशक हित निहित है । पक्षकारों के मध्य उत्पन्न समस्त विवादों / मतभेदों का निस्तारण का क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित न्यायालय को होगा ।

31 प्रदर्शनी आयेजन संबंधी नियम: -

यदि निगम द्वारा बिक्री के लिये प्रदर्शनी आयोजित की जाती है तो ऐसी प्रदर्शनी में कन्साईनर को अपना माल प्रदर्शित एवं बेचने हेतु प्राथमिकता दी जा सकती है । अगर वह प्रदर्शनी में भाग लेने में असमर्थ रहता है उसका यह कृत्य उसके लाइसेन्स को समाप्त करने के योग्य होगा । इस विषय में अंतिम निर्णय निगम के प्रबन्ध निदेशक/अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा किया जायेगा तथा कन्साईनर के लिये अंतिम तथा मान्य होगा ।

32 अनुबन्ध निष्पादन संबंधी नियम: -

कन्साईनर द्वारा 500 रूपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर निर्धारित प्रोफार्मा में काउन्टर स्वीकृत पत्र जारी होने के एक सप्ताह के भीतर अनुबन्ध निष्पादन करना होगा ।

33 निविदा को मान्य /अमान्य करने संबंधी नियम: -

किसी भी निविदा को मान्य/अमान्य करने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा तथा पार्टी को इसके लिए कोई कारण नहीं बतलाया जावेगा ।

34 आवंटित स्थान संबंधी नियम: -

निविदादाता निविदा देने से पूर्व संबंधित विक्रय केन्द्र के व्यवस्थापक/प्रभारी से सम्पर्क कर उपलब्ध कराये जाने वाले स्थान व अन्य सुविधाओं की जानकारी कर लेवे । निगम को आवंटन स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार होगा जिस हेतु निविदादाता द्वारा कोई आपत्ति नहीं की जा सकेगी ।

35 अस्थाई रूप से विक्रय केन्द्र बंद करने की दशा में निगम की यथाविधि: :-

नवीनीकरण अथवा किसी अन्य कारण से निगम को यदि कुछ समय के लिए विक्रय केन्द्र बन्द करना पड़े अथवा गुणवत्ता बिक्री लक्ष्य काउण्टर (Quality Sales Target Counter)व्यवस्था रोकनी (Discontinue) पड़े तो इस अवधि हेतु देय अनुपातिक गुणवत्ता बिक्री लक्ष्य काउण्टर (Quality Sales Target Counter) राशि को कुल गुणवत्ता बिक्री लक्ष्य काउण्टर(Quality Sales Target Counter) राशि में से कम कर दिया जावेगा। उक्त अवधि में काउन्टर होल्डर द्वारा की गई वास्तविक बिक्री पर निगम द्वारा निर्धारित कमीशन व लाइसेन्स फीस चार्ज की जावेगी।
नोट:- भौतिक सत्यापन के समय विक्रय केन्द्र यदि बिक्री बन्द रखता है तो उपरोक्त शर्त लागू नहीं होगी ।

36 निगम के कार्यविधि की अवमानना संबंधी नियम: -

यदि कन्साईनर एम्पोरियम के प्रबंधक/प्रभारी के निर्देशों की अवमानना करता है या कोई ऐसा कार्य करता है जिससे आने वाले ग्राहक को यह प्रतीत हो कि काउन्टर एम्पोरियम का हिस्सा नहीं है या कन्साईनर इस काउन्टर को चला रहा है, ऐसी स्थिति में प्रबन्धक/प्रभारी तुरन्त प्रभाव से आवंटित काउन्टर पर बिक्री बंद कर सकता है।

37 कम्प्यूटरीकरण संबंधी नियम: -

कन्साईनर को अपने काउण्टर पर बिक्री शुरू करने से पूर्व काउण्टर पर बिक्री हेतु रखे समस्त सामान की सूची मय विक्रय मूल्य के प्रभारी को देना अनिवार्य है। यदि निगम शोरूम का कम्प्यूटरीकरण व बारकोड करवाता है तो कन्साईनर को भी आवंटित काउन्टर पर कम्प्यूटरीकरण व बारकोड पर जो भी खर्चे होंगे उसका भुगतान निगम में जमा करवाना अनिवार्य होगा।

38 ड्रेस कोड संबंधी नियम: -

निगम अपने शोरूम में जो ड्रेस कोड स्थापित करता है, कन्साईनर को भी स्वयं के खर्चे पर अपने विक्रय सहायक हेतु ड्रेस कोड नियम का पालन करना होगा ।

- 39 यदि कोई कन्साईनर किन्हीं परिस्थितियों में निगम द्वारा विशिष्ट प्रयोग हेतु उपलब्ध करवाये गये स्थान के लिए किरायेदारी हक या अन्य दावे के लिए न्यायिक प्रक्रिया करता है तो निगम उसे ब्लेक-लिस्ट कर सकेगा।
- 40 आरक्षित दर:— प्रत्येक QST काउन्टर हेतु आरक्षित दर निर्धारित की गई हैं जिसका विवरण परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध हैं। आरक्षित दर से कम राशि वाली निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
- 41 पक्षकारों के मध्य उत्पन्न समस्त विवादों / मद्भेदों का निस्तारण का क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित न्यायालय को होगा।

उपर्युक्त शर्तें पूर्णतया स्वीकार है।

दिनांक:

स्थान :

हस्ताक्षर प्रमाणित:

राजपत्रित अधिकारी / नोटेरी पब्लिक

निविदादाता / अधिकृत प्रतिनिधि के
हस्ताक्षर, नाम व पूरा पता
(मय मोहर)

परिशिष्ट-“अ”

गुणवत्ता बिक्री लक्ष्य काउण्टर (Quality Sales Target Counter) पर आवंटित काउण्टरों के लिए दी जाने वाली जगह का व्यौरा:-

राजस्थली नई दिल्ली

	काफ्ट	जगह का व्यौरा
1	राजस्थानी ब्रास एवं मेटल आईटम्स,	100 वर्गफुट प्रथम तल
2.	राजस्थानी मोजरी व हस्तनिर्मित चमड़े का सामान	80 वर्गफुट मेजनाइन
3.	राजस्थानी फर्नीचर(सोफासैट, स्टूल,डाइनिंग सैट,स्टैडी टेबल एवं अलमारी,झरोखा,कैबिनेट्स,पार्टीसन,सन्दूक ,कोर्नर आदि)	924 वर्गफुट तलधर
4.	ब्ल्यू पॉटरी व टेरा कोटा	80 वर्गफुट तलधर

राजस्थली जयपुर

	काफ्ट	जगह का व्यौरा
1	राजस्थानी हैण्ड ब्लोक प्रिन्टेड टाई एण्ड डाई के सिले सिलाए वस्त्र	158 वर्गफुट प्रथम तल
2	राजस्थानी गलीचा, दरी व दरी उत्पाद	208 वर्गफुट तलधर
3	थेवा ज्वैलरी	45.5 वर्गफुट भूतल
4.	ब्ल्यू पॉटरी	85 वर्गफुट तलधर

राजस्थली चेतक सर्किल, उदयपुर

	काफ्ट	जगह का व्यौरा
1	मूल्यवान व अर्द्धमूल्यवान रत्न व रत्नजडित आभूषण	50 वर्गफुट भूतल
2	राजस्थानी मार्बल गोल्ड व इन्लेवर्क सहित	30 वर्गफुट भूतल
3	परम्परागत पेन्टिंग (मात्र सिल्क, कपडा व कागज पर)	100 वर्गफुट भूतल
4	राजस्थानी हैण्ड ब्लोक प्रिन्टेड टाई एण्ड डाई के सिले सिलाए वस्त्र	30 वर्गफुट भूतल
5	राजस्थानी ब्रास व मेटल आईटम्स	30 वर्गफुट भूतल

परिशिष्ट-“ब”

प्रत्येक गुणवत्ता बिक्री लक्ष्य काउण्टर (Quality Sales Target Counter) हेतु आरक्षित दर निर्धारित की गई है। जिसका विवरण निम्न प्रकार हैं:-

राजस्थली नई दिल्ली

	काफ्ट	24 माह की आरक्षित QST राशि
1	राजस्थानी ब्रास एवं मेटल आईटम्स,	रु 10 लाख
2.	राजस्थानी मोजरी व हस्तनिर्मित चमड़े का सामान	रु 5 लाख
3.	राजस्थानी फर्नीचर(सोफासैट, स्टूल,डाइनिंग सैट,स्टैडी टेबल एवं अलमारी,झरोखा,कैबिनेट्स,पार्टीसन,सन्दूक ,कोर्नर आदि)	रु 100 लाख
4.	ब्ल्यू पॉटरी व टेरा कोटा	रु 15 लाख

राजस्थली जयपुर

	काफ्ट	24 माह की आरक्षित QST राशि
1	राजस्थानी हैण्ड ब्लोक प्रिन्टेड टाई एण्ड डाई के सिले सिलाए वस्त्र	रु 54 लाख
2	राजस्थानी गलीचा, दरी व दरी उत्पाद	रु 35 लाख
3	थेवा ज्वैलरी	रु 9 लाख
4.	ब्ल्यू पॉटरी	रु 12 लाख

राजस्थली चेतक सर्किल, उदयपुर

	काफ्ट	24 माह की आरक्षित QST राशि
1	मूल्यवान व अर्द्धमूल्यवान रत्न व रत्नजडित आभूषण	रु 8 लाख
2	राजस्थानी मार्बल गोल्ड व इन्लेवर्क सहित	रु 4 लाख
3	परम्परागत पेन्टिंग (मात्र सिल्क, कपडा व कागज पर)	रु 6 लाख
4	राजस्थानी हैण्ड ब्लोक प्रिन्टेड टाई एण्ड डाई के सिले सिलाए वस्त्र	रु 6 लाख
5	राजस्थानी ब्रास व मेटल आईटम्स	रु 3 लाख

AGREEMENT

THIS AGREEMENT IS MADE ON this the day of Two thousand Seventeen between Rajasthan Small Industries Corporation Limited (A Government of Rajasthan Concern) Udyog Bhawan, Tilak Marg, Jaipur, through its Secretary Shri Ravi Agarwal (hereinafter called the Corporation) which expression unless contrary to the context hereof, shall mean and include its successors, representative and permitted assigns on the one part andhereinafter called the licensee which expression include his / her / their representatives and permitted assigns) on the other part, through its Proprietor/ Partner/ Director/ Authorized signatory

WHEREAS vide order No..... the licensee has

been granted a counter for the, specific purpose of sale of

WHEREAS the licensor owns and possess various handicraft emporia at various places throughout the country, including Rajasthan Handicrafts Emporiumwhich is hereinafter referred to as the emporium.

WHEREAS the licensee has expressed the desired to have counter in the said emporium for display and sale of only on the following agreed terms and conditions as are herein after mentioned.

NOW THIS AGREEMENT WITNESSES AS FOLLOWS

1. The licensor grants permission by way of license to the licensee to use counter assigned for sale of In the said only emporium only for specific purpose for display exhibition and sale of **24 months** from to provided however, that the licensor may at any time at its discretion call upon the licensee to remove the articles from the said counter in which event the licensee shall be bound to remove articles from the counter.
2. The license will be valid for the period from unless it is revoked earlier.
3. The licensee has Target sale of Rs/- **from** to has agreed to pay commission @ 25% of the sales proceeds as commission as per clause 1 (A) of terms and conditions of the tender. In case the actual sales fall short of the Quality Target Sale, the commission will have to be paid on the Quality Target Sales.

In case the total sale of a particular month fall short even of the amount recoverable from licensee as commission on Target Sale, the balance will have to be deposited in cash by 10th of the following month.

4. In addition to the sale commission and contribution towards promotional publicity the licensee will also pay further license fee per month as per Clause 2 of terms & conditions of the tender.
5. For the period during which renovation work is being done, the sales made by the Quality Target Sale counter holders should be treated as sale made on the sale and return basis. However, the consignors would be responsible for payment of license fee and commission @ 25% on sale for this period. Quality Target Sale would also be reduced proportionately for the remaining period.
6. As per clause 2 & 5 of the terms & conditions of the tender, six months proportionate amount of commission on Quality Target Sale will have to be deposited / has been deposited in the ratio of 60% cash & 40% in the form of bank guarantee and license fee of.....months iuin cash by licensee with the Corporation as security for due performance and observance, the terms and conditions of license. In case the license is revoked before the expiry of the date mentioned above, on any account of breach of any terms and conditions of the contract or otherwise the security deposit will be forfeited without any interest. The Corporation will also be entitled to adjust its amount from any of the amount, payable to the licensee
7. All sales of the counter shall be made on the cash memos to be supplied by the Corporation for the purpose and payment against these cash memos will be collected by the Corporation at its cash collecting counters as usual which will be paid to licensee by 30th of the next month after deducting the license fee and commission and any other amount due of the Corporation.

8. Licensee will charge sales tax/GST as per law and regulations applicable to the goods sold failing which due amount of sales tax/GST will be recovered from sales proceeds. In case of documentary evidence that the licensee has tried to avoid tax by twist of language, etc., the Manager of the emporium will be authorized to impose penalty as per his decision and issue warning in writing not to repeat the same. If similar incident occurs three times, the Manager may close the sale by putting a seal on the counter & report to H.O.
9. Licensee will charge reasonable approved prices for the goods to be sold at the counters and licensee will have to carry out all directions, instructions in this regard. If the Corporation suffers any loss or has to incur any expenditure due to any act of the licensee, licensee shall have to pay the amount of such loss or expenses incurred to the Corporation failing which the Corporation will have the right to recover such amount from the sales proceeds of the counter or from any other amount payable to licensee or any other legal course.
10. The licensee shall have to allow discount upto 20% on the selling rate at the discretion of the Manager or any authorized officer of the Corporation. 50% of the discount so allowed should be borne by the Corporation and the remaining 50% shall have to be borne by the licensee. The commission payable to the Corporation on such sales shall be calculated after deducting the amount of discount borne by the Corporation from the gross sales.

The discount allowed by the licensee at his own will shall be borne by him and commission payable to the Corporation on such sale be same which would have been payable had the discount not been allowed.

11. The overall control and superintendence of the said counter shall remain vested in the Corporation whose officers, employees, servants or agents shall during business hours be entitled to inspect the said counter for ensuring proper observance of the terms and conditions of the license.
12. The licensee will not be entitled to allow any other person to occupy and or use the counter or any part thereof and further the licensee will have no interest in the counter nor licensee deemed to have possession thereof.
13. Not more than one person on a single allotted counter will be allowed to attend the counter, On written request by the party, the Manager may allow more numbers of Sales Assistants if considered necessary. The licensee will employ person of good character and conduct on the counter and will furnish to the Corporation in writing, the names, parentage, age, permanent address and specimen signatures or thumb impression with photographs of all such employees whom licensee propose to employ for the purpose before they are actually put on the counter and the Corporation may issue identity cards to them. The Corporation shall be at liberty to prohibit entry of such employee(s) as the Corporation may, in its direction consider undesirable.

14. If a licensee does not follow the instruction of the Manager of the emporium or does something wrong which gives an impression to the visiting customer that the counter does not belong to the emporium and is of a private party's counter, the same may be liable for discontinuance with immediate effect. A Committee of the Officers may be authorized to decide about the act of the licensee on the above ground.
15. The licensee will be display and sell specific items under the sole supervision of the Corporation and will comply all directions and instructions of the Corporation, failing which the Corporation will be entitled to prohibit licensee or their any other employee(s) entry to the counter forthwith.
16. The Corporation will provide every possible security and protection for the goods but shall not be responsible for any depreciation, shortage, theft, pilferage etc. or any such loss due to riots, fire, burglary or any other reason caused by unforeseen happenings or earth quake or other natural calamities or otherwise.
17. The Commission charged by the Bank for encashment of cheques / bank drafts and credit cards such as American Express Cards, Diner's Club cards etc. received by the Corporation against sales on the said counter shall be borne by licensee.
18. In case the sales exhibition are organized by the corporation, licensee may be required to display his goods at the exhibition and if he fail to attend it, it will render his license liable to be terminated, or otherwise the Corporation may take any other action.
19. No license will be allowed to have a telephone, Cellular phone, fan, computer, and internet connection, WAN, LAN facility of his own. In the counter, if found playing all or any of the above or doing anything which as per the Manager's opinion is likely to carry out information which may be harmful for the goodwill of the Emporium/Corporation, the Manager is empowered to get such facilities disconnected immediately and if the instructions are not obeyed, he may stop the sale at the counter. The Corporation may provide to licensee facility for use of its telephone on payment at its discretion.
20. If the Corporation takes up computerization in its showroom, the licensee also have to do the same at his own cost, in consultation with the Manager of the emporium.
21. Licensee has to observe the Dress Code prescribed by the Corporation for its showroom, at his own cost.
22. Licensee will pay interest @18% p.a. to the Corporation of any dues remaining unpaid after stipulated period. This is without prejudice to the other rights.

23. The Corporation reserves the right to admission in the emporium
24. Licensee will keep the counter in clean, proper and decent conditions and store quality goods. Licensee is expected not to damage the walls, floor and other structures of the counter in any manner. Licensee will abide himself including licensee's employees by all rules and regulations that the Corporation may from time to time make or adopt for the said emporium/counter.
25. Licensee is required to comply with all the rules and regulations under all enactments applicable to license in respect of sale shall indemnify the Corporation for all claim made or damages suffered by the Corporation for any reasons or default in their due compliance.
26. Licensee will not undertake or permit any such activity, which in the opinion of the Corporation may be a nuisance or may in any way interfere with the decorum of the emporium/counter.
27. Licensee will not keep or store upon the said counter any articles of combustible inflammable or dangerous nature.
28. Licensee will, at the close of the business hours of the said emporium/counter, place all the items in licensee's own safe, which licensee will be allowed to keep and retain the keys of the safe with licensee and will also leave the emporium/counter immediately after close of the business hours. The Corporation will be competent to fix the working hours.
29. Licensee will not use the name of the Corporation in any advertisement, publicity or propaganda material without prior written permission of the Corporation.
30. In case of any of the following, events, the Corporation will be at liberty to revoke the allotment.
 - a) If licensee fails to keep the counter open for business for any full calendar month at any time during the currency of the allotment.
 - b) If licensee fails to pay the amount of commission/rent or any other dues as stipulated herein.
 - c) if licensee commits a breach of any of the condition of this agreement.
 - d) In case of death of licensee or bankruptcy of it licensee is ordered to wind up the business or to carry on the business under receiver or liquidator, and
 - e) If it is in the interest of the Corporation.
31. That on revocation of the licensee in the circumstance stated above or otherwise the Corporation will be free to assume exclusive and absolute possession of the said counter and deal with them in such, manner as it may deem fit, any of licensee belongings found in the said counter shall have to be

claimed by licensee on payment of all dues of the Corporation within the period of one month of the date of such assumption, failing which the Corporation shall be entitled to put them to auction and appropriate to itself of amount due and payable by licensee including such amount of compensation as the Corporation may decide in its sole discretion. The balance if any will be paid to licensee without any interest, and the entry of the licensee will be prohibited.

32. A notice required to be made upon or given to licensee shall be deemed to have been duly and sufficiently made or given if sent by the Corporation or its agents through post by registered letter at the aforesaid address or in the alternative pasted on the said counter.
33. Any dispute, differences or question touching on or arising out of license/agreement or of the sub matter there of shall be referred to the sole arbitration of the CMD/ Managing Director, Rajasthan Small Industries Corporation Ltd., Jaipur or his nominee, whose decision shall be final and binding on both the parties. The courts located at Jaipur only will have jurisdiction to deal with legal proceedings if any arising of this deal/agreement.
34. The licensee has agreed that the CMD / Managing Director of Corporation will be free to appoint / nominate any person / firm to dispose of / settle any arbitration.
35. All the terms and conditions mentioned in the order will be deemed the terms of the present agreement unless a contrary item is mentioned in the present agreement.
36. The terms & conditions of the tender automatically become part of this agreement.
37. The Licensee shall maintain high quality standards of all the products sold through this counter and shall ensure-----to be genuine handicraft products only the official of the Corporation /any agency authorised by the Corporation can inspect the products at any time and can give directions for quality maintenance which will be totally complied by the licensee. Licensee has to have compulsory certification for the quality of his products from the authorized agency of the Corporation as and when applicable.
38. If any consignor approaches Court and claim tenancy rights for the space allotted by the Corporation for conducting sale of the prescribed product, the party will be blacklisted and will not be allowed to participate in the tenders for the next six years from the date of such orders by the Corporation.
39. In case the licensee has any shop/ showroom of his own or in partnership with any party, the Corporation would normally not consider such cases.

(Ravi Agarwal)

(.....)

SECRETARY

M/s

.....
THE RSIC LTD., JAIPUR

FOR AND ON BEHALF OF THE LICENSEE

Witness:

1.

2.

Witness:

1.

2.

